राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :— 99 / 2024

अरविन्द पोरवाल **—अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. संयुक्त शासन सचिव, (ग्रुप— I), राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
4. जिला कलक्टर, कलक्टर कार्यालय, चित्तौड़गढ।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.03.2024
आदेश की दिनांक : 06.03.2024

उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री गोपाल लाल आचार्य, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 1986 में पटवारी के पद पर हुई तत्पश्चात् अपीलार्थी को पदोन्नत किया जाकर भू—अभिलेख एवं नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी की आयु वर्तमान में 59 वर्ष है तथा उसकी सेवानिवृति दिसंबर 2024 में है। अपीलार्थी का आगे कथन है कि आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक—4) के द्वारा उसका स्थानान्तरण भदेसर जिला चितौडगढ़ से नायब तहसीलदार उप तहसील डूंगला जिला चितौडगढ़ में किया गया। अपीलार्थी का आगे कथन है कि उसकी सेवाकाल में मात्र 8 माह शेष है और

पेंशन प्रकरण तैयार करने बाबत् दस्तावेज विभाग द्वारा मांगे जा चुके है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का आलोच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरण किया गया है जो विधि के विरूद्व है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–3) को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें जावें।

3. हमने उभय पक्ष के विदान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 1986 में पटवारी के पद पर हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यलय, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण भदेसर जिला चितौडगढ़ से नायब तहसीलदार उप तहसील डूगंला जिला चितौडगढ़ में किया गया। अपीलार्थी के सेवाकाल में मात्र 8 माह शेष है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण चित्तौड़गढ जिले से चित्तौडगढ़ जिलें में ही किया गया है। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

5. लिहाजा अपीलार्थी के स्थानान्तरण में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खाारिज की जाती है।

6. आदेश आज दिनांक 06.03.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य